राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 4(14)शिक्षा–1 / 2015 जयपुर, दिनांक 11-05-16

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विषयः– मा. मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2016–17 की बजट घोषणा संख्या 160 की क्रियान्विति अन्तर्गत "मुख्यमंत्री जन–सहभागिता विद्यालय विकास योजना" के दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार मा. मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2016–17 की बजट घोषणा संख्या 160 की क्रियान्विति अन्तर्गत "मुख्यमंत्री जन–सहभागिता विद्यालय विकास योजना" के संचालन हेतु दिशा निर्देश संलग्न कर लेख है कि दिशा निर्देशानुसार योजना की क्रियान्विति कराने का श्रम करावें।

उक्त दिशा निर्देश वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 101601292 दिनांक 03.05.2016 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किए जाते हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

नाहर सिंह 11/05/2016

(नाहर सिंह)
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को योजना के दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राज. जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. समस्त शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक, राजस्थान।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / जिला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राजस्थान।

11/05/2016

(बी.के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी, शिक्षा

D:\D I X I T\DAYARAM G\DRS JANSAHBHAGITA\CM VIDHYALAY YOJNA REVISED.DOCX

मुख्यमंत्री जन–सहभागिता विद्यालय विकास योजना

दिशा निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 राज्य में 13401 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में से अधिकांश विद्यालय कक्षा 6 से 10/12 तक संचालित थे। कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक न होने के कारण इन विद्यालयों का पर्यवेक्षण सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था। जिसके कारण, कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों के पर्यवेक्षण को सुदृढीकरण करने के उद्देश्य से उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय को समीपस्थ स्थित प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय के साथ समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के 13370 समन्वित विद्यालय स्थापित किए गए है।

1.2 राजस्थान में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की ट्रांजीशन दर केवल 48 प्रतिशत थी। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में कक्षा 12 तक की शिक्षा की सुनिश्चितता उपलब्ध कराने हेतु 5,000 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया।

1.3 उपरोक्त कार्यवाही के फलस्वरूप राज्य में स्थित कुल 13,401 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में से 12,370 विद्यालय कक्षा 1 से 10/12 के हो गए है (जिसमें से 8,475 विद्यालय कक्षा 1 से 12 एवं 3,895 कक्षा 1 से 10 के विद्यालय)।

1.4 राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस प्रकार 9,895 विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किया जावेगा। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है।

1.5 वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना का वित्तीय पोषण वर्ष 2015–16 से 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में है। अब तक इस योजना के तहत कुल 4252 विद्यालयों में आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण/प्रगतिरत है।

1.6 माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य हेतु 5,773.00 करोड़ की राशि का आवश्यकता निम्नानुसार होगी :–

क्र. सं.	चरण	राशि रूपये करोड़ों में
1	प्रथम चरण (1340 विद्यालय)	304.00
2	द्वितीय चरण (3097 विद्यालय)	1259.00
3	तृतीय चरण (5458 विद्यालय)	2501.00
4	आदर्श योजना में सम्मिलित नहीं होने वाले विद्यालय (3506 विद्यालय)	1709.00
	कुल योग	5773.00

1.7 राज्य सरकार की आदर्श विद्यालय योजना के अनुसार 9,895 विद्यालयों को मार्च, 2018 तक विकसित किया जाना है। जिसके लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु 4,064 करोड़ की राशि की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आगामी तीन वर्षों में इतनी अधिक राशि उपलब्ध होने की संभावना कम है। अतः आदर्श विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु अन्य स्त्रोतों से भी राशि जुटाये जाने की आवश्यकता होगी।

1.8 उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु जनसहयोग को बढावा देने के लिए वर्ष 2016–17 से **मुख्यमंत्री जन–सहभागिता विद्यालय विकास योजना** प्रारंभ की जा रही है।

2. योजना के उद्देश्य

2.1 माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में जनसहयोग के माध्यम से निर्धारित मानदंडों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विकास।

2.2 माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों के प्रबंधन एवं विकास में जनभागीदारी को प्रोत्साहन।

2.3 माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों को जनसहयोग के माध्यम से Centre of Excellence के रूप में विकसित करना।

3. योजना की विशेषताएं

3.1 यह राज्य वित्त पोषित योजना होगी।

3.2 जन सहयोग से 40 प्रतिशत राशि प्राप्त होने पर 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

3.3 योजना का क्षेत्र ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय होंगे।

4. योजना में अनुमत कार्य

4.1 इस योजना के तहत शामिल की जाने वाली गतिविधियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

5. योजना के अन्तर्गत कार्यो की स्वीकृति

5.1 इस योजना के तहत विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति द्वारा आवश्यकता का आंकलन कर प्रस्ताव पारित किया जावेगा। जनसहयोग/भामाशाह से प्राप्त होने

वाली राशि का उल्लेख पारित प्रस्ताव में किया जावेगा। निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध आवश्यक भूमि होने पर ही नवीन निर्माण का प्रस्ताव लिया जावेगा।

5.2 राज्य मद तथा जनसहयोग/भामाशाह से प्राप्त होने वाली राशि तथा विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति के प्रस्ताव के अनुसार सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता द्वारा तकमीना विद्यालय प्रबंध एंव विकास समिति को सौपा जावेगा।

5.3 विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति प्रस्ताव तथा तकमीना को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा) को प्रेषित करेगी।

5.4 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रस्ताव पर जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान (जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा) एवं जिला कलेक्टर (अध्यक्ष, जिला निष्पादक समिति) से स्वीकृति प्राप्त कर कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे।

5.5 भामाशाह/दान–दाता द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार जनसहयोग राशि संबंधित एसडीएमसी के खाते में जमा करायी जावेंगी।

5.6 विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति द्वारा जनसहयोग राशि के जमा होने की सूचना बैंक खाता विवरण के साथ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रस्तुत करने पर संबंधित अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी। तत्पश्चात अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान (जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा) एवं जिला कलेक्टर (अध्यक्ष, जिला निष्पादक समिति) से अनुमोदन प्राप्त कर वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

5.7 जनसहयोग की राशि का वहन स्थानीय समुदाय/सामाजिक संगठन/गैर सरकारी संस्थान/ट्रस्ट/पंजीकृत संस्था/व्यक्तिगत दान–दाता/विद्यालय विकास कोष (छात्रों से फीस के साथ संग्रहित राशि को छोडकर) से किया जा सकेगा।

5.8 निर्धारित जनसहयोग की वांछित पूर्ण राशि जमा हो जाने के उपरान्त ही बजट की उपलब्धता अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दिशानिर्देश के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित अवधि में तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी।

5.9 इस योजना के तहत जिला स्तर पर प्रति विद्यालय 50 लाख तक के ही कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे। इससे अधिक लागत के कार्य स्वीकृत करने हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

5.10 वर्ष में आवंटित राशि से अधिक के कार्य स्वीकृत नहीं किये जावेंगे।

5.11 वर्ष में आवंटित राशि के 10 प्रतिशत तक ही विद्यालय भवन के मरम्मत के कार्य लिए जा सकेंगे।

6. योजना का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं संचालन

6.1 कार्यो का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मानदण्डानुसार राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, जिला स्तर पर जिला

निष्पादन समिति तथा विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति द्वारा किया जावेगा।

6.2 विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति इन कार्यों की कार्यकारी संस्था होगी। दानदाता/जनसहयोगकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को सक्रिय रूप से साथ जोडकर कार्य संबंधित विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति द्वारा करवाया जावेगा।

6.3 निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा जारी दिशानिर्देश में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेगा।

6.4 इस योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत अर्जित की जाने वाली प्रगति से प्रति माह निर्धारित प्रारूप में माध्यमिक शिक्षा विभाग को माह समाप्ति के बाद 7 दिवस में भिजवायी जावेगी।

6.5 प्रत्येक कार्य के कम से कम तीन फोटोग्राफ समय–समय पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेंगे।

7. धनराशि का अवमोचन

7.1 राज्य स्तर से जिलों को राशि 2 क़िश्तों में जारी की जावेगी। प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत राशि बिना किसी शर्त के जारी की जावेगी। द्वितीय किश्त की राशि कुल उपलब्ध राशि (प्रथम क़िश्त की राशि) के 60 प्रतिशत उपयोग एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जावेगी।

7.2 इस योजना के अन्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर जनसहयोगकर्ता अथवा उनके नामित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी होंगे।

7.3 यदि किसी जिले में अपेक्षित जन सहयोग राशि उपलब्ध नहीं है तो उस जिले की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रथम छः माह बाद अन्य जिलों को जहां जन सहयोग की राशि उपलब्ध है वहां जारी की जा सकेगी।

7.4 राशि का आवंटन जिले में जमा जनसहयोग की राशि को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा।

8. पूर्णता प्रमाण–पत्र

8.1 निर्मित कार्यो के पूर्णता प्रमाण–पत्र कार्यकारी संस्था द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद से जारी दिशा–निर्देशों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जारी किये जायेंगे।

9. अभिलेख/परिसम्पत्ति का ब्यौरा संधारणः–

9.1 योजनान्तर्गत निर्मित अचल एवं चल परिसंपत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार का होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद दिशा–निर्देशों के अनुरूप अभिलेख–परिसम्पत्तियों के ब्यौरे का संधारण किया जावेगा।

10.अंकेक्षण

10.1 योजनामद में दी जाने वाली व जन संहयोग राशि के लेखे का अंकेक्षण सनदी लेखाकार के द्वारा नियमानुसार करवाया जायेगा।

10.2 राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग उक्त योजना का प्रशासनिक विभाग होगा।